रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231305 CG-DL-E-23112021-231305

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943

No. 672] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

### वित्त मंत्रालय

### (राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

### (आय-कर)

सा.का.नि. 831(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बत्तीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप 52क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

### "प्ररूप 52क

#### [नियम 121क देखिए]

# आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 285ख के अधीन चलचित्र फिल्म के निर्माण के संबंध में निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाला विवरण

क्रम सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे				
1.	निर्माता का नाम और पता	निर्माता के ब्यौरे				
		नाम				

6779 GI/2021 (1)

			प्रास्थिति					
			आवासिक प्रास्थि	थति				
				खाता				
			संख्यांक					
			कर कटौती र संख्यांक	खाता				
0		2-2	पता					
2.		त पूर्ववर्ष		1				
3.	फिल्म	के ब्यौरे	फिल्म का नाम					
			फिल्म की प्रकृति	ते	सेलूलायड फिल्म		सेलूलायड से भिन्न	फिल्म
4.		व, जिसको फिल्म का निर्माण किया गया था						
5.		फेल्म का निर्माण पूरा हो गया है, ा होने की तारीख						
6.	वित्तीय	प वर्ष, जिससे विवरण संबंधित है						
7.	रुपए निर्माण अन्यथ	ा द्वारा कुल मिलाकर 50,000 से अधिक के या उससे फिल्म के ग में कर्मचारी के रूप में या ा लगे प्रत्येक व्यक्ति को उससे संदायों के ब्यौरे						
	(i)	व्यक्ति के ब्यौरे, जिसको संदाय वि	। केया गया है या शं	गेध्य है	•			
		व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का पता			व्यक्ति संख्यांव	का स्थायी क	खाता
	(ii)	उपरोक्त (i) में उल्लिखित व्यक्ति	। को किए गए संदा	ाय के ब	यौरे			
		रकम	वह तारीख,			जेसको	स्रोत पर कर	काटा
	क्या संदाय नकद रूप में किया गया है		संदाय किया या शोध्य हुआ		किया ग	या था	गया है या नहीं	
		यदि हां, तो नकद रूप में संदत्त की गई रकम						
		कुल संदत्त रकम						

तारीख:

मैं,,	इसके द्वारा घोषणा करता	हूं कि जो ऊपर कहा	गया है, व	ह मेरी सर्वोत्तम	जानकारी और
विश्वास के अनुसार सही है । आज	<sup>·</sup> तारीख	को सत्यापित किया	गया ।		
स्थान :					

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर।"।

[अधिसूचना सं. 132/2021/फा. सं. 370142/55/2021-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, (टीपीएल-IV)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 713(अ) तारीख 01 अक्टूबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November, 2021

#### **INCOME-TAX**

- **G.S.R. 831(E).**—In exercise of the powers conferred by section 285B read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- <u>1. Short title and commencement.</u> (1) These rules may be called the Income tax (32nd Amendment), Rules, 2021.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, for Form No. 52A, the following Form shall be substituted, namely:—

#### "FORM NO. 52A

#### [See rule 121A]

Statement to be furnished to the Assessing Officer under section 285B of the Income-tax Act, 1961, in respect of production of a cinematograph film

Sr. No.	Particulars	Details					
1.	Name and address of the producer	Details of Producer					
		Name					
		Status					
		Residential status					

				Permanent Account Number				
				Tax Deduction Account Number				
				Address				
2.	Relevant p	previous year						
3.	Details of	the film		Name of the Film				
				Nature of the Film	Cell Film	uloid 1	Other than Celluloid Film	
4.	Date on v	which the production	of the fil	m				
	was started							
		oduction of the film I, the date of completion		en				
		year to which the staten						
	the aggreg from him	payments of over Rs gate made by the product to each person engage of the film as en	ucer or du	ue ne				
	(i) Details of the person to whom payment has been made or is due							
		Name of the Person	Add	lress of the Person	PAN	of the	e Person	
	(ii) Details of payment made to person mentioned in (i) above							
				Date on which payment		Tax deducted at source or not		
	Whether paid in cash		was made or became du	e				
		if yes, then amount						

[भाग II—खण्ड 3(i)]		भारत का राजपत्र : असाधारण				5
		paid in cash				
		Total amount paid				
		1				1
			Verifi	cation		
	•	declare that what e day of	is stated above	e is true to	the best of my	knowledge and belief.
Place:						
Date:						
				:	Signature of the	Authorised Signatory.".
			[N	otification N	Io. 132/2021/F. N	No.370142/55/2021-TPL
				;	SHEFALI SINGI	H, Under Secy. (TPL-IV)
Note:	section (ii	•	). 969(E), dat	ed the 26tl	h March, 1962	, Part-II, Section-3, Sub- and last amended <i>vide</i>